



मध्यप्रदेश शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2016-2017



जनवरी 2017

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2017



मध्यप्रदेश शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2016-2017

श्रीमती सामबा	भारत	सचिवालयीन सेवा
1. श्री महेश चंद्र जैन		सचिवालयीन सेवा
2. श्रीमती रजनी प्रदीप		सचिवालयीन सेवा
3. श्री सी.एल. शर्मा		सचिवालयीन सेवा
4. श्री आर. पी. शर्मा		सचिवालयीन सेवा
5. श्री हरिमोहन शर्मा		सचिवालयीन सेवा
6. श्रीमती चंद्रवती शर्मा		सचिवालयीन सेवा
श्री अनिल शर्मा		सचिवालयीन सेवा

जनवरी 2017

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2017

Approved for Uploading

संतोष प्रसाद शुक्ल
अतिरिक्त सचिव
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल (म.प्र.)

07-4-17

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

विभागीय संरचना


विधि मंत्री

माननीय श्री रामपाल सिंह

सचिवालय

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1. प्रमुख सचिव | श्री अरविंद मोहन सक्सेना | उच्च न्यायिक सेवा |
| 2. सचिव | श्री आर.के. वाणी | उच्च न्यायिक सेवा |
| 3. सचिव | श्री. जे.के. वैद्य | उच्च न्यायिक सेवा से
सेवानिवृत्त
(संविदा नियुक्ति) |
| 4. अतिरिक्त सचिव | 1. श्री आर.के. सोनी
2. श्री अमिताभ मिश्र
3. श्री शरतचन्द्र सक्सेना
4. श्री राजेश यादव
5. श्री आर.के. गुप्ता | उच्च न्यायिक सेवा
उच्च न्यायिक सेवा
उच्च न्यायिक सेवा
सचिवालयीन सेवा
उच्च न्यायिक सेवा से
सेवानिवृत्त
(संविदा नियुक्ति) |
| 5. उप सचिव | श्रीमती सामवती बरला | सचिवालयीन सेवा |
| 6. अवर सचिव | 1. श्री महेन्द्र कुमार जैन
2. श्रीमती रजनी पंचौली
3. श्री सी.एल. मुकाती
4. श्री आर. पी. गुप्ता
5. श्री हरिमोहन बाथम
6. श्रीमती चंद्रकान्ता चौरसिया | सचिवालयीन सेवा
सचिवालयीन सेवा
सचिवालयीन सेवा
सचिवालयीन सेवा
सचिवालयीन सेवा
सचिवालयीन सेवा |
| 7. स्टाफ आफिसर | श्री अनिल शर्मा | सचिवालयीन सेवा |
| 8. वरिष्ठ लेखा अधिकारी | श्री रमेश चन्देवाल | वित्त एवं लेखा सेवा |

विधि और विधायी कार्य विभाग



विधि विभाग नियमावली के अनुसार विधि विभाग का कार्य तीन भागों में अर्थात् 'अ', 'ब' तथा 'स' में बंटा हुआ है:-

भाग-अ

इस विभाग में मुख्यतः प्रारूपण शाखा, विधीक्षा शाखा का कार्य होता है :-

प्रारूपण शाखा:- इस शाखा में विधान सभा में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों का परिमार्जन अंग्रेजी में करना, विधान सभा में पारित विधेयकों को अधिनियम के रूप में प्रकाशित करना तथा राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेश परिमार्जन करना तथा प्रकाशित करने का कार्य किया जाता है।

विधीक्षा शाखा (अंग्रेजी) :- इस शाखा में शासन के विभागों से प्राप्त नियमों, विनियमों, उपविधियों, आदेशों, अधिसूचनाओं आदि अधीनस्थ विधायन के अंग्रेजी प्रारूपों का परिमार्जन किया जाता है।

भाग-ब

इस शाखा में न्याय प्रशासन से संबंधित कार्य होता है:-

उच्च न्यायालय के न्यायाधिपतिगण को छोड़कर रजिस्ट्री में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों तथा न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, न्यायालयों की स्थापना तथा शासकीय अधिवक्ताओं एवं विशेष अधिवक्ताओं के पदों पर नियुक्ति का कार्य इस शाखा द्वारा किया जाता है। यह शाखा मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की प्रशासकीय शाखा के रूप में कार्य करती है।

भाग-स (1)

इस भाग में मुख्य रूप से उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/प्रशासनिक अधिकरण में प्रस्तुत प्रकरणों के अभियोजन एवं प्रतिरक्षण का कार्य होता है। इस भाग में बंदियों की दया याचिका, समय पूर्व मुक्ति प्रकरणों की वापसी एवं शासकीय सेवकों के विरुद्ध अभियोजन का कार्य भी किया जाता है।

सामान्यतः उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों में शासन की ओर से महाधिवक्ता सहित विधि अधिकारीगण पैरवी करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में तीन स्टैंडिंग कौंसिल राज्य के लिये नियुक्त हैं तथा विभिन्न कनिष्ठ एवं वरिष्ठ पैनल में नियुक्त अधिवक्ताओं से भी पैरवी कराई जाती है। नई दिल्ली में इस विभाग का उप कार्यालय स्थापित किया गया है, जो प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही करता है।

भाग-स (2)

परामर्श शाखा.— इस शाखा द्वारा विभिन्न विभागों से विधिक परामर्श हेतु प्राप्त प्रकरणों में अभिमत देने का कार्य किया जाता है. उप सचिव स्तर से सचिव स्तर तक प्रकरण का परीक्षण किया जाकर, प्रमुख विधि परामर्शी स्तर पर अभिमत दिया जाता है।

विभाग के अधीन सेवाओं के नाम

1. मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा
2. राज्य विधिक सेवा,
3. विभाग के अधीन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा.

विधि विभाग के अधीन कार्यरत अधिकरण एवं प्राधिकरण

1. मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
2. मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण,

विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम

1. मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958
2. न्यायालय फीस अधिनियम, 1870
3. वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887
4. भारतीय दण्ड संहिता, 1860
5. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
6. हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956
7. हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956
8. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
9. विशेष विवाह अधिनियम, 1954
10. पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, 1936
11. विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869
12. मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939

13.	संपरिवर्ती विवाह विघटन अधिनियम, 1866			
14.	भारतीय किश्चयन विवाह अधिनियम, 1872			
15.	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925			
16.	सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882			
17.	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872			
18.	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932			
19.	विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963			
20.	प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920			
21.	भारतीय न्यास अधिनियम, 1882			
22.	शासकीय न्यासी अधिनियम, 1913			
23.	महाप्रशासक अधिनियम, 1963			
24.	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872			
25.	शपथ अधिनियम, 1969			
26.	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908			
27.	मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा राज्य विधिक सलाह अधिनियम, 1976			
28.	अधिवक्ता अधिनियम, 1961			
29.	नोटरी अधिनियम, 1952			
30.	न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971			
31.	दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973			
32.	दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1932			
33.	माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996			
34.	परिसीमा अधिनियम, 1963			
35.	मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983			
36.	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987			
37.	मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982			
38.	मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ को अपील अधिनियम, 2005			
39.	मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी निवारण अधिनियम, 2015			
40.	ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008			

अध्याय-दो

बजट अनुभाग

वित्त वर्ष 2016-17 में विभाग को मांग संख्या 29 विधि और विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत निम्नानुसार राशि स्वीकृत है:-

(आंकड़े हजार में)

संक्षिप्त विवरण	बजट अनुमान वर्ष 2016-2017		
	आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
(1)	(2)	(3)	(4)
एक- राजस्व अनुभाग			
2014 न्याय प्रशासन			
(102) उच्च न्यायालय (भारित)	9,71,09 1,16,18,71	1,00,00 0	10,71,09 1,16,18,71
(105) सिविल और सत्र न्यायालय (मतदेय) (भारित)	6,27,56,44 3	6,00,00 0	6,33,56,44 3
(114) विधि सलाहकार और परामर्शदाता (मतदेय) (भारित)	22,38,05 1	3,36,99 0	25,75,04 1
(800) अन्य व्यय	49,88,70	0	49,88,70
योग-लेखाशीर्ष 2014 (मतदेय) (भारित)	7,09,54,28 1,16,18,75	10,36,99 0	7,19,91,27 1,16,18,75
2015-निर्वाचन			
(102) निर्वाचन अधिकरी	16,97,35	0	16,97,35
(103) निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण	40,07,00	0	40,07,00
(105)संसद के चुनाव कराने के लिये प्रभार	6,64,15	0	6,64,15
(106) राज्य संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिये प्रभार (भारित)	7,56,08 20,10	0 0	7,56,08 20,10
(108)मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना	10,03,50	0	10,03,50
योग लेखाशीर्ष 2015 (मतदेय) (भारित)	81,28,08 20,10	0 0	81,28,08 20,10
2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं			
(090) सचिवालय	20,00,30	2,70,00	22,70,30
(091) संलग्न कार्यालय	3,29,42	0	3,29,42
योग-लेखाशीर्ष 2052 (मतदेय)	23,29,72	2,70,00	25,99,72

2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
(60) अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम			
(200) अन्य कार्यक्रम	14,00,00	7,51,44	21,51,44
योग लेखाशीर्ष 2235(मतदेय)	14,00,00	7,51,44	21,51,44
<hr/>			
योग एक राजस्व अनुभाग (मतदेय)	8,28,12,08	20,58,43	8,48,70,51
(भारित)	1,16,38,85	0	1,16,38,85
<hr/>			
दो-पूंजी अनुभाग			
7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि			
(202)-मोटर वाहन का कय करने के लिए अग्रिम	50,00	0	50,00
योग लेखा शीर्ष-7610(मतदेय)	50,00	0	50,00
योग-पूंजी अनुभाग	50,00	0	50,00
योग मांग संख्या-29-न्याय प्रशासन(मतदेय)	8,28,62,08	20,58,43	8,49,20,51
(भारित)	1,16,38,85	0	1,16,38,85

वित्त वर्ष 2016-17 के प्रथम अनुपूरक अनुमान में निम्नानुसार राशि स्वीकृत है:-

(102) उच्च न्यायालय (भारित)	0	7,85,40	7,85,40
(105) सिविल और सत्र न्यायालय (मतदेय)	7,00	9,75,00	9,82,00
(114) विधि सलाहकार और परामर्शदाता (मतदेय)	1,96,72	0	1,96,72
(800) अन्य व्यय (मतदेय)	35,00	0	35,00
योग-लेखाशीर्ष 2014 (मतदेय)	2,38,72	9,75,00	12,13,72
(भारित)	0	7,85,40	7,85,40
<hr/>			
2015-निर्वाचन			
(102) निर्वाचन अधिकारी	4,46,35	0	4,46,35
(103) निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण	37,23,76	0	37,23,76
(105)संसद के चुनाव कराने के लिये प्रभार	3,17,50	0	3,17,50
(106) राज्य संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिये प्रभार	1,59,00	0	1,59,00
योग लेखाशीर्ष 2015 (मतदेय)	46,46,61	0	46,46,61
<hr/>			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
(200) अन्य कार्यक्रम	0	14,65,00	14,65,00
योग लेखाशीर्ष 2235(मतदेय)	0	14,65,00	14,65,00
योग मांग संख्या-29-न्याय प्रशासन (मतदेय)	48,85,33	24,40,00	73,25,33
(भारित)	0	7,85,40	7,85,40

वित्त वर्ष 2016-17 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान में निम्नानुसार राशि स्वीकृत है:-

(114) विधि सलाहकार और परामर्शदाता (मतदेय)	25,60	0	25,60
योग-लेखाशीर्ष 2014 (मतदेय)	25,60	0	25,60
योग मांग संख्या-29-न्याय प्रशासन (मतदेय)	25,60	0	25,60

वित्त वर्ष 2016-17 में विभाग को मांग संख्या 41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत निम्नानुसार राशि आवंटित है:-

एक- राजस्व अनुभाग

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

(5136)-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुदान	0	73,80	73,80
---	---	-------	-------

योग लेखा शीर्ष-2235(मतदेय)	0	73,80	73,80
-----------------------------------	----------	--------------	--------------

वित्त वर्ष 2016-17 में विभाग को मांग संख्या 64 अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत निम्नानुसार राशि आवंटित है:-

एक- राजस्व अनुभाग

2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

01-अनुसूचित जातियों का कल्याण	0	35,24,00	35,24,00
-------------------------------	---	----------	----------

योग लेखा शीर्ष-2225(मतदेय)	0	35,24,00	35,24,00
-----------------------------------	----------	-----------------	-----------------

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

0103-अनुसूचित जाति उपयोजना

(5136)-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुदान	0	58,23	58,23
---	---	-------	-------

योग लेखा शीर्ष-2235(मतदेय)	0	58,23	58,23
-----------------------------------	----------	--------------	--------------

योग एक-राजस्व अनुभाग

0	35,82,23	35,82,23
----------	-----------------	-----------------

योग विभाग-21

वित्त वर्ष 2016-17 हेतु अभिभाषक संघ के पुस्तकालयों के लिये पुस्तकें क्रय करने हेतु रु. 10,00,000/- का आवंटन प्राप्त हुआ, जिसमें 31 दिसम्बर 2016 तक अभिभाषक संघों को निम्नानुसार अनुदान प्रदाय किया गया है :-

क्रं.	अभिभाषक संघ का नाम	राशि
01	अभिभाषक संघ, मैहर जिला सतना	50000/-
02	जिला अभिभाषक संघ, श्योपुर	50000/-
03	अभिभाषक संघ, सबलगढ जिला मुरैना	50000/-
04	अभिभाषक संघ, मुलताई जिला बैतूल	50000/-
05	अभिभाषक संघ, अजयगढ जिला पन्ना	50000/-
06	जिला अभिभाषक संघ, अनूपपुर	100000/-
07	जिला अभिभाषक संघ, उमरिया	100000/-
08	जिला अभिभाषक संघ, शहडोल	100000/-

अध्याय-तीन

कार्य एवं उपलब्धियाँ

न्यायिक शाखा (एक)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के लिये उच्च न्यायालय, जबलपुर में स्थित है। उच्च न्यायालय, जबलपुर की खण्डपीठ, ग्वालियर तथा इंदौर में है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधिपतिगण के 53 पद स्वीकृत है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अनुसार राज्य में स्थापित सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण करने की शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है। राज्य में जिला न्यायालय, सिविल न्यायालय के अतिरिक्त दंड न्यायालयों के रूप में सेशन न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय, द्वितीय श्रेणी के न्यायालय तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय कार्यरत है। विशेष अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों का निराकरण किये जाने के लिए विशेष न्यायालय जैसे-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, स्वापक एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, भारतीय विद्युत अधिनियम, म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का विचारण किये जाने के लिए विशेष सेशन न्यायाधीश के न्यायालय स्थापित किए गए हैं। रेल्वे अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों का निपटारा किये जाने के लिए विशेष मजिस्ट्रेट के न्यायालय एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत स्थापित न्यायिक मजिस्ट्रेट के विशेष न्यायालय पृथक से स्थापित हैं। ऐसे न्यायालयों के अतिरिक्त कुछ अन्य न्यायालय भी विशेष मामलों के निराकरण के लिए राज्य में कार्यरत हैं।

वर्ष 2016-17 की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:-

- सायबर एवं उच्च तकनीकी अपराधों के विचारण हेतु जबलपुर, इन्दौर, भोपाल एवं ग्वालियर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 4 अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के लिये न्यायाधीश एवं अमले के कुल 36 पदों का सृजन किया गया है।
- मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 16.12.2016 में प्रकाशित विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.10.2016 एवं उच्च न्यायालय की अधिसूचना दिनांक 18.11.2016 द्वारा अपर जिला न्यायाधीश के 235 न्यायालय स्थापित किये गये है जिनमे से 4 न्यायालय जबलपुर, इन्दौर, भोपाल एवं ग्वालियर में सायबर एवं उच्च तकनीकी अपराधों के निवारण हेतु है इसी प्रकार व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के 130 तथा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के 195 न्यायालय स्थापित किये गये है।

- सिविल जज वर्ग-2 के 96 पदों में से 57 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है शेष 39 पदों के लिये नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- वरिष्ठ नियमित सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 के 5 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी हैं। 12 पदों के लिये नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।
- उच्च न्यायालय की स्थापना पर निम्नानुसार पद सृजित किये गये हैं:-
 - (अ) आई.एल.आर प्रकाशन कार्य हेतु विभिन्न केडर के 20 पदों का सृजन।
 - (ब) उच्च न्यायालय जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर हेतु हार्टीकल्चरिस्ट के 03 पदों का सृजन।
 - (स) वाहन चालको के 25 नियमित पदों का सृजन किया गया।
 - (द) उच्च न्यायालय की विजिलेंस हेतु अधिकारी एवं स्टाफ के कुल 06 पदों का सृजन किया गया है।
 - (इ) अधिनस्थ न्यायालयों के लिये तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 163 पद सृजित किये गये।
- केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत न्यायिक अधोसंरचना के सुदृढीकरण हेतु जिला स्तर पर नवीन न्यायालय भवनों हेतु रूपयें 23.00 लाख की नवीन एवं रूपयें 68.92 लाख की पुनरीक्षित स्वीकृतियां जारी की गई है। इसी प्रकार न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासगृहों हेतु रूपयें 841.61 लाख की पुनरीक्षित स्वीकृतियां जारी की गई है।
- कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीडित, भोपाल के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का उच्च न्यायालय के अधीक्षण में उच्च न्यायालय तथा विभिन्न जिला न्यायालयों की स्थापना में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति में 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके हैं कर्मचारियों को सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष की सीमा तक छूट प्रदान की गई हैं। यह सुविधा आदेश जारी होने के दिनांक से 05 वर्ष तक की अवधि के लिये ही हैं।

न्यायिक शाखा (दो)

न्यायिक शाखा-दो में माननीय उच्चतम न्यायालय में स्थाई अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पैनल अधिवक्ताओं के संबंध में नियुक्ति की जाती है, इसके साथ ही म.प्र. के सम्पूर्ण जिलों में शासकीय अभिभाषक/अति.शासकीय अभिभाषक के पदों पर नियुक्ति की जाती है। साथ ही नोटरी नियुक्ति एवं नोटरी नवीनीकरण से संबंधित कार्य तथा माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा अधिवक्ता पंचायत में की गई घोषणाओं के संबंध में कार्य सम्पादित किया जाता है। इसके साथ ही विधानसभा एवं विधानसभा प्रश्नों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (8) के संबंध में अधिवक्ताओं की नियुक्ति विशेष लोक अभियोजक के रूप में की जाती है एवं साथ ही विशेष न्यायालय में पैरवी करने हेतु विशेष लोक अभियोजक तथा विशेष न्यायालयों के लिए विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता को नियुक्ति किये जाने के संबंध में कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय में अति.वरिष्ठ अधिवक्ता-06, वरिष्ठ अधिवक्ता-12, स्थाई अधिवक्तागण-03 एवं 01 अधिवक्ता ग्रीन ट्रिब्यूनल तथा कनिष्ठ अधिवक्ता के रूप में 65 अधिवक्ता म.प्र.शासन द्वारा नियुक्त किये गये हैं।

माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर एवं ग्वालियर में अतिरिक्त महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता एवं उपशासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की गयी है।

वकील पंचायत में माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा की गयी घोषणा क्रमांक-2470 अधिवक्ताओं की मृत्यु होने पर प्रत्येक अधिवक्ता के आश्रित को राशि रूपये 1,00,000/- क्षतिपूर्ति देते हुए कुल 164 अधिवक्ताओं के आश्रितों को राज्य शासन द्वारा क्षतिपूर्ति राहत राशि वर्ष 2016-17 में उपलब्ध कराई गई है एवं घोषणा क्रमांक-2471 गंभीर बीमारियों से पीड़ित अधिवक्ताओं को सहायता हेतु रूपये एक करोड़ का अनुदान दिया गया है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24(8) के अंतर्गत सत्र प्रकरणों में 8 अधिवक्ताओं को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है।

विशेष न्यायालय अत्याचार निवारण में पैरवी करने हेतु 35 अधिवक्ताओं को विशेष लोक अभियोजक साथ ही 10 जिलों में उप संचालकों को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है तथा 35 विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गयी है।

जिला स्तर पर नोटरी की नियुक्ति के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, जिन पर यथाशीघ्र निर्णय लेकर राज्य शासन द्वारा नोटरियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जावेगी, कार्यवाही प्रचलन में है।

नोटरी नवीनीकरण के संबंध में तहसील/जिले हेतु कुल 217 नोटरियों का नवीनीकरण राज्य शासन द्वारा किया जा चुका है।

प्रारूपण शाखा

प्रारूपण शाखा :-

इस शाखा में विधान सभा में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों का परिमार्जन अंग्रेजी में करना, विधान सभा में पारित विधेयकों को अधिनियम के रूप में प्रकाशित करना तथा राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किये जाने वाले अध्यादेश परिमार्जन करना तथा प्रकाशित करने का कार्य किया जाता है।

2. प्रारूपण शाखा में निम्नानुसार महत्वपूर्ण कार्य भी किया जाता है:-

- (1) संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित होने पर उसके अनुसमर्थन का संकल्प राज्य विधान सभा से पारित कराना।
- (2) विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल की अनुमति हेतु भेजने का कार्य।
- (3) राज्य विधेयकों, अधिनियमों एवं अध्यादेशों का मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन।
- (4) विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजने के लिए भारत सरकार से पत्र व्यवहार।
- (5) राजपत्र में छपने वाले अधिनियमों एवं अध्यादेशों के त्रुटिपूर्ण पाठ का शुद्धि-पत्र बनाने का कार्य।
- (6) केन्द्रीय अधिनियमों एवं अध्यादेशों का मध्यप्रदेश राजपत्र में पुनःप्रकाशन का कार्य।

3. 31 दिसम्बर, 2016 तक विभिन्न विभागों के निम्न विधेयकों एवं अध्यादेशों के प्रारूपों का परीक्षण किया गया एवं उनके परिमार्जित प्रारूप प्रशासकीय विभागों को उपलब्ध कराये गये-

अध्यादेश	-	06
विधेयक	-	35

4. वर्ष 2016 में कुल 03 अध्यादेश प्रख्यापित किये गये।
5. वर्ष 2016 में कुल 32 विधेयक विधान सभा में प्रशासकीय विभागों द्वारा पुरःस्थापित किए गए तथा 31 दिसम्बर, 2016 तक 31 अधिनियम राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं।

6. वर्ष 2016 तक की स्थिति में निम्नलिखित विधेयक राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु भारत सरकार में लंबित है :-

1. मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2010 (क्रमांक 03 सन् 2010)
2. मध्यप्रदेश कपास बीज (पूर्ति, वितरण एवं विक्रय का विनियमन तथा विक्रय मूल्य का निर्धारण) विधेयक, 2010 (क्रमांक 22 सन् 2010)
3. भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 03 सन् 2016)
4. मध्यप्रदेश भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण विधेयक, 2016 (क्रमांक 23 सन् 2016)

पुस्तकालय शाखा

म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग का पुस्तकालय विधि पुस्तकों के क्षेत्र में राज्य का एक बड़ा विभागीय पुस्तकालय है। पुस्तकालय में लगभग एक लाख से ज्यादा विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पत्रिकाएँ तथा राजपत्रों का समावेश है। पुस्तकालय में विशेषतः मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश, इन्दौर, ग्वालियर, होलकर राज्य, सी.पी. एण्ड बरार तथा भोपाल रियासत के पुराने साहित्य का भी संकलन उपलब्ध है।

पुस्तकालय द्वारा विधि परामर्शी के कार्यों हेतु व अन्य नस्तीयों के निराकरण हेतु पुस्तकों का आदान-प्रदान किया जाता है। विभाग के अलावा अन्य विभागों, अधिकरण आदि को संदर्भ सेवा प्रदाय की जाती है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश राज्य के तथा केन्द्र के मूल अधिनियमों तथा नियमों में समय-समय पर किये गये संशोधन यथास्थान लगाने का कार्य मुख्यरूप से होता है। विभाग के पुस्तकालय को ई-ग्रंथालय बनाए जाने हेतु पुस्तकों की प्रविष्टियां एन.आई.सी. से प्राप्त साफ्टवेयर में की जा रही है।

पुस्तकालय को अद्यतन बनाने के लिए लगभग 20 प्रकार की विधि पत्रिकाएँ क्रय की जा रही हैं तथा अद्यतन विधि पुस्तकें समय-समय पर पुस्तक चयन समिति के माध्यम से क्रय की जाती है।

अभियोजन शाखा

लोकायुक्त/राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/एस.टी.एफ. एवं सी.बी.आई. से संबंधित अभियोजन स्वीकृति के कुल 335 प्रकरण प्राप्त हुये, जो संबंधित प्रशासकीय विभागों को भेजे गये हैं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के अंतर्गत प्रकरण प्रत्याहरण से संबंधित 18 प्रकरण मत हेतु प्राप्त हुये। सभी 18 प्रकरणों में अभिमत दिया गया है।

जेल मेन्यूअल के नियम 361-362 एवं 775 के अन्तर्गत समयपूर्व मुक्ति हेतु कुल 07 प्रकरण प्राप्त हुये। सभी 07 प्रकरणों में अभिमत दिया गया है।

मत शाखा

1. मत शाखा द्वारा विभिन्न विभागों से विधिक परामर्श हेतु प्राप्त प्रकरण में मत देने का कार्य किया जाता है। उप सचिव स्तर से प्रकरण का परीक्षण किया जाकर सचिव स्तर पर और महत्वपूर्ण प्रकरण में प्रमुख सचिव द्वारा अंतिम मत दिया जाता है। परिमार्जन हेतु विधीक्षा शाखा से प्राप्त नस्तियों में भी आवश्यक विधिक मत, शाखा द्वारा यथा निर्देशित प्रदान किये जाते हैं।
2. मत शाखा में शासन के विभिन्न विभागों से 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक कुल 410 प्रकरण प्राप्त हुए थे, जिनमें से 400 प्रकरणों में अभिमत दिया जाकर संबंधित विभागों को भेजे गये हैं तथा शेष 10 प्रकरणों में अभिमत दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अभिमत संबंधी कार्य समय पर पूर्ण किये जाते हैं।

अनुवाद शाखा (मुख्य विधायन)

1. मध्यप्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयकों, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों के हिन्दी अनुवाद तैयार करना तथा उनके शुद्धि-पत्र बनाने आदि का कार्य इस शाखा द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को प्रस्तुत दया याचिकाओं और मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत अशासकीय विधेयकों के अंग्रेजी पाठ तैयार करने का कार्य भी इस शाखा को सौंपा गया है।
2. 31 दिसंबर, 2016 तक विभिन्न विभागों के 06 अध्यादेश एवं 35 विधेयकों के हिन्दी पाठ के प्रारूपों का परीक्षण किया गया एवं इनके परिमार्जित प्रारूप प्रशासकीय विभागों को उपलब्ध कराए गए।
3. वर्ष 2016 में कुल 03 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए।
4. वर्ष 2016 में कुल 32 विधेयक विधान सभा में प्रशासकीय विभागों द्वारा पुरःस्थापित किये गये तथा 31 दिसम्बर, 2016 तक 31 अधिनियम राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं।

हिन्दी विधायी समिति शाखा

मध्यप्रदेश शासन हिन्दी विधायी समिति शाखा को, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मध्यप्रदेश के मूलतः अंग्रेजी में पारित अधिनियमों तथा मध्यप्रदेश की घटक इकाइयों में प्रवृत्त अधिनियमों तथा मध्यप्रदेश पर विस्तारित तथा मध्यप्रदेश द्वारा संशोधित/समायोजित केन्द्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ तैयार करने और उनका राजपत्र में पुनः प्रकाशन कराने का कार्य सौंपा गया है। हिन्दी विधायी समिति शाखा के द्वारा केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद का मध्यप्रदेश के राजपत्र में पुनः प्रकाशन कराया जाता है।

विधीक्षा शाखा (हिन्दी) (अधीनस्थ विधायन) शाखा

इस शाखा में अधीनस्थ विधायन के अंतर्गत नियमों, अधिसूचनाओं, उपविधियों, विनियमों, आदेशों तथा भर्ती नियमों के हिन्दी परिमार्जन/अनुवाद का कार्य किया जाता है।

1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 तक विभिन्न विभागों से प्राप्त कुल 118 आदेशों/अधिसूचनाओं/ नियमों/भर्ती नियमों का परीक्षण कर उनका परिमार्जित हिन्दी पाठ अनुवाद सहित उपलब्ध कराया गया है।

विधीक्षा शाखा (अंग्रेजी)

इस शाखा में मुख्य रूप से प्रत्यायोजित विधान से संबंधित कार्य होता है। इसके अंतर्गत प्रशासकीय विभाग से प्राप्त नियमों, विनियमों, आदेशों, उप विधियों एवं अधिसूचनाओं के प्रारूपों के अंग्रेजी पाठ का परिमार्जन किया जाता है तथा परिमार्जन पश्चात् नस्ती हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ सहित प्रशासकीय विभाग को वापस की जाती है।

वर्ष 2016 में कुल 535 प्रकरण प्राप्त हुए थे जिनमें से 531 प्रकरणों में अंग्रेजी प्रारूपों का परिमार्जन कर उनके हिन्दी अनुवाद के साथ नस्ती संबंधित प्रशासकीय विभागों को वापस की जा चुकी है तथा 04 प्रकरणों में अनुवाद का कार्य चल रहा है।

स्थापना शाखा

1. मध्य प्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम के अनुसार इक्कीस-विधि और विधायी कार्य विभाग में म.प्र. राज्य विधिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 2010, म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 2010 तथा म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम 1978 में शामिल सेवाएँ, संवर्ग पद का प्रशासन किया जाता है। उपरोक्त पदों पर नियुक्तियों, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, अवकाश नगदीकरण, प्रतिनियुक्तियों, पदोन्नतियों, समयमान, भविष्य निधियों, प्रशिक्षण, दण्ड तथा अभ्यावेदन इत्यादि विषयों से संबंधित कार्यवाही की जाती है।
2. कार्यालय में शासकीय सेवकों की उपस्थिति के लिए पेपरलेस बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग शुरू किया गया है।

3. विधि विभाग का कार्य कम्प्यूटर पर किए जाने के लिए MAP_IT संस्था से 11 शासकीय सेवकों को कम्प्यूटर उपयोग में प्रशिक्षित किया गया है। समस्त शासकीय सेवक प्रशिक्षण में उत्तीर्ण हुए। कार्य में त्वरित गति एवं कार्य सुविधा के लिए समस्त शासकीय सेवकों को पृथक-पृथक कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हैं।
4. शासकीय सेवकों हेतु आकस्मिक अवकाश/ऐच्छिक अवकाश एवं अन्य अवकाश व आवेदन तथा उनकी रिपोर्टिंग, स्वीकृत एवं लेखांकन को पूर्णतः पेपर लेस (कम्प्यूटराईज) किया गया।
5. फाईलों की आवक-जावक को मैनुअल रजिस्टर पंजी से पूर्णतः हटाते हुए पेपर लेस आवक-जावक को आनलाईन कर फाईल ट्रेकिंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है। विधि विभाग द्वारा कार्यवाही उपरान्त संबंधित विभागों को भेजे जाने वाली फाईलें, पत्र, आदेश इत्यादि को स्थायी पंजी नंबर पर पूर्ण कार्यवाही होने के उपरान्त ही संबंधित विभाग प्रमुख को SMS भी स्वतः प्रेषित किया जाता है।
6. कार्यालय के समस्त शासकीय सेवकों को स्वयं की वेतन पर्ची प्राप्त किए जाने के लिए MP Treasury की Website से लिंक उपलब्ध कराया गया है।
7. विभाग के सभी शासकीय सेवकों के NIC सर्वर पर आधिकारिक ई-मेल बनाये गए तथा विभाग के लिए File Tracking Portal पर नोटिस बोर्ड की सुविधा उपलब्ध करायी गई है, जिस पर विभाग के सर्कुलर, आदेश आदि जारी होने के दिनांक पर आन लाईन एवं संबंधित के ई-मेल पर उपलब्ध रहते हैं।
8. विभाग से सेवा निवृत्त 10 शासकीय सेवकों को संभागीय पेंशन भुगतान अधिकारी से पेंशन प्राधिकृत आदेश, ग्रेच्युटी आदेश जारी कराकर सेवा निवृत्त तिथि को ही प्रदान कराये गए हैं।
9. अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली कार्यालय की स्थापना पर अनुवादकों के 10 अतिरिक्त नवीन पदों का सृजन किया गया है।
10. विभाग में निशक्तजन हेतु चिन्हांकित तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त 2 पदों पर विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत 1 श्रवणबाधित एवं 1 दृष्टिबाधित उम्मीदवार को नियुक्ति प्रदान की गई है।
11. शासकीय सेवा में रहते हुए 2 शासकीय सेवकों की आकस्मिक मृत्यु उपरान्त उनके योग्य पुत्र/पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है।

12. विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करके पात्रानुसार 10, 20 एवं 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले समस्त पात्र 15 शासकीय सेवकों को नियमानुसार समयमान-वेतनमान का लाभ प्रदान करने संबंधी आदेश जारी किए गए।
13. विधि विभाग के 6 शासकीय सेवकों पर विभागीय जांच प्रचलित है एवं 14 शासकीय सेवकों के प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं।
14. समस्त संवर्ग/सेवा हेतु पदक्रम सूची (प्रावधिक) 01.01.2016 की स्थिति में जारी की गयी।
15. "मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण निधि-2012" के अंतर्गत गंभीर बीमारी से पीड़ित अधिवक्ताओं को इलाज हेतु शत-प्रतिशत अनुदान राशि रूपये 1.00 करोड़ (एक करोड़) का ई-भुगतान किया गया।
16. जिला अभिभाषक संघों को पुस्तकालय हेतु पुस्तकें क्रय करने के लिए शत-प्रतिशत कुल 8 अभिभाषक संघों को अनुदान राशि कुल रु. 10,00,000/- (दस लाख) का ई-भुगतान किया गया।
17. मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधि सहायता तथा विधिक सलाह उपलब्ध कराने हेतु संचालित मांग संख्या-29, मांग संख्या-41 एवं मांग संख्या-64 के अंतर्गत विभिन्न 8 मदों में शत-प्रतिशत राशि रु. 32,00,51,015/- (बत्तीस करोड़ इक्यावन हजार पन्द्रह) की अनुदान राशि का ई-भुगतान किया गया।

याचिका शाखा

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर एवं ग्वालियर में राज्य शासन द्वारा या शासन के विरुद्ध प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में राज्य शासन की ओर से प्रतिरक्षण करने की कार्यवाही की जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य शासन के विरुद्ध पारित निर्णयों के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका के संबंध में समुचित कार्यवाही तथा ऐसी कार्यवाही करने के संबंध में प्रशासकीय विभाग की ओर से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर मत दिया जाता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय में राज्य शासन की ओर से तथा राज्य शासन के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों में प्रतिरक्षण आदेश जारी करना तथा उच्चतम न्यायालय में फीस आदि का भुगतान करने की कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

वित्त वर्ष 1 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 में निम्नानुसार कार्य सम्पन्न किये गये :-

शाखा में प्राप्त कुल प्रकरण	प्रकरणों का विवरण	निपटाये गये प्रकरण	लंबित प्रकरण
1.	माननीय उच्चतम न्यायालय में की गई कार्यवाही का विवरण:		
	क- विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति की गई	265 17	निल निल
2.	माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर एवं ग्वालियर:		
	क- अवमानना प्रकरणों में प्रतिरक्षण किये जाने हेतु अधिवक्ता नियुक्त किये गये,	118	निल
	ख- जिन प्रकरणों में पुनर्विलोकन याचिकाएं एवं प्रस्तुत रिट अपील हेतु आदेश जारी किये गये	265	निल
	ग- जिन प्रकरणों में विधि सम्मत अभिमत दिये जाने के उपरांत नस्तियाँ लौटाई गई,	145	निल
	घ- जिन प्रकरणों में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये (याचिकाएँ)	6101	निल
3.	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में प्रतिरक्षण हेतु प्रशासकीय विभागों से प्राप्त प्रकरण:		
	क- जिन प्रकरणों में अधिवक्ताओं की नियुक्ति आदेश जारी किये,	70	निल
	ख- केवियट दायर करने के संबंध में महाधिवक्ता म.प्र. को निर्देश जारी,	05	निल
4.	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में प्रस्तुत प्रकरण: राज्य सरकार की ओर से प्रभावी प्रतिरक्षण किये जाने हेतु अधिवक्ताओं की नियुक्ति आदेश जारी किये गये,	09	निल
5.	शासकीय अधिवक्ताओं को फीस का भुगतान: समय-समय पर प्रकरण में अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान की कार्यवाही की गई,	170	निल
6.	विविध एवं अन्य प्रकरणों की संख्या	1880	निल
कुल योग-		9049	निल

सभी प्रकरणों का निराकरण किया गया।

सिविल शाखा

सिविल शाखा में मुख्य रूप से विभिन्न न्यायालयों/अधिकरण में लंबित सिविल मामलों में अपील/रिवीजन/याचिका पेश की जाती है तथा राज्य के विरुद्ध लंबित मामलों में प्रतिरक्षण के आदेश जारी किये जाते हैं।

01-01-2016 से 31-12-2016

1. उच्चतम न्यायालय के समक्ष- 152 मामलों में एस.एल.पी. पेश किये जाने के आदेश जारी किये गये।
2. माध्यस्थम अधिकरण एवं अन्य राज्यों के समक्ष 195 मामलों में प्रतिरक्षण आदेश एवं अधिवक्ता नियुक्ति आदेश जारी किये गये।
3. मान. उच्च न्यायालय जबलपुर एवं मान. उच्च न्यायालय बँच ग्वालियर एवं इंदौर में द्वितीय अपील पुनरीक्षण, रिट याचिका एवं रिट अपील-408, पक्ष समर्थन-1091 पेश करने के आदेश जारी किये गये एवं अन्य- पत्रों पर कार्यवाही कर संबंधित को प्रेषित किये गये।

आपराधिक शाखा

01 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक किये गये कार्य का विवरण निम्नानुसार है

अ. उच्चतम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही:

सरल क्रमांक	कार्य का संक्षिप्त विवरण	निराकृत प्रकरणों / नस्तियों की संख्या
1.	मध्यप्रदेश शासन की ओर से विशेष अनुमति याचिका प्रस्तावों पर परीक्षण किया गया।	49
2.	मध्यप्रदेश शासन के विरुद्ध प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिकाओं / अपील प्रकरणों में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये गये।	59
3.	महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर, उप महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर/ग्वालियर से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेशों, रिपोर्ट प्रकरण जिन्हे नस्तिबद्ध किया जाना प्रस्तावित किया गया था तथा जो परीक्षण के उपरांत नस्तिबद्ध किये गये।	533

ब. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ ग्वालियर/इंदौर के समक्ष कार्यवाही:

सरल क्रमांक	कार्य का संक्षिप्त विवरण	निराकृत प्रकरणों / नस्तियों की संख्या
4.	मध्यप्रदेश शासन की ओर से जिला कलेक्टर द्वारा अपील/दांडिक पुनरीक्षण प्रस्ताव पर परीक्षण कर आदेश जारी किये गये।	1323
5.	मध्यप्रदेश शासन के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपराधिक अपील/पुनरीक्षण/रिट याचिका में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये गये।	50
6.	मध्यप्रदेश शासन की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त अर्द्धशासकीय एवं सूचनार्थ पत्रों पर की गई कार्यवाही।	1905
7.	स्थाई अधिवक्ताओं की फीस भुगतान के प्रकरणों पर की गई कार्यवाही।	09

इस प्रकार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण किया गया।

मध्य प्रदेश शासन के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपराधिक अपील/पुनरीक्षण/रिट याचिका में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये गये।

मध्य प्रदेश शासन की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त अर्द्धशासकीय एवं सूचनार्थ पत्रों पर की गई कार्यवाही।

स्थाई अधिवक्ताओं की फीस भुगतान के प्रकरणों पर की गई कार्यवाही।

उक्त कार्यवाही के निमित्त उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण किया गया।

क्रमांक	विवरण	संख्या
1.	मध्य प्रदेश शासन की ओर से जिला कलेक्टर द्वारा अपील/दांडिक पुनरीक्षण प्रस्ताव पर परीक्षण कर आदेश जारी किये गये।	1323
2.	मध्य प्रदेश शासन के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपराधिक अपील/पुनरीक्षण/रिट याचिका में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये गये।	50
3.	मध्य प्रदेश शासन की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त अर्द्धशासकीय एवं सूचनार्थ पत्रों पर की गई कार्यवाही।	1905
4.	स्थाई अधिवक्ताओं की फीस भुगतान के प्रकरणों पर की गई कार्यवाही।	09

उक्त कार्यवाही के निमित्त उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण किया गया।

भाग-एक

मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल

विभागीय संरचना:-

अध्यक्ष	:	मान. न्यायमूर्ति श्री एम. के. मुदगल
उपाध्यक्ष	:	मान. सुश्री सुषमा खोसला
सदस्यगण	:	(1) मान. श्री पी.के. वर्मा (न्यायिक) (2) मान. श्री ओ.पी. श्रीवास्तव (तकनीकी) (3) मान. श्री आर.पी. शरण (न्यायिक)
रजिस्ट्रार	:	पद रिक्त (डिप्टी रजिस्ट्रार के पास अतिरिक्त प्रभार)
डिप्टी रजिस्ट्रार	:	श्री एम.एस.परिहार

अधीनस्थ कार्यालय : निरंक

विभाग के अंतर्गत आने वाले

मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण : निरंक

विभाग के दायित्व :

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी:-

म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (अधिनियम क्रमांक 29 सन् 1983) 1 मार्च 1985 को प्रभावशील हुआ तथा उसी दिन अधिकरण का गठन हुआ। अधिकरण द्वारा, अधिनियम के अधीन रु. 50,000/- या उससे अधिक मूल्य के किसी दावे से संबंधित ऐसे विवादों का, जो किसी संकर्म संविदा (वर्क्स कान्ट्रैक्ट) या उसके भाग के निष्पादन या अनिष्पादन से उद्भूत हुआ हो तथा जिनमें दोनो पक्षकारों में से एक पक्षकार राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के पूर्णतः या सारवान रूप से स्वामित्वधीन या नियंत्रणाधीन कोई लोक उपक्रम हो, निराकरण किया जाता है। अधिकरण की दो खण्डपीठें, यथा खण्डपीठ 'पी' तथा खण्डपीठ 'आई' मुख्यालय भोपाल में ही संचालित हैं। अधिनियम की धारा-13 के प्रावधानों के अन्तर्गत यथावश्यकता जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय अनुमति दें, अधिकरण की सर्किट बेंच राज्य के अन्दर अन्यत्र किसी स्थान पर सुनवाई हेतु नियत की जाती है।

महत्वपूर्ण सांख्यिकी

31.12. 2015 को लंबित निर्देश प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2016 में पंजीकृत निर्देश प्रकरणों की संख्या	पुनर्स्थापित निर्देश प्रकरणों की संख्या	निर्देश प्रकरणों की कुल संख्या	वर्ष 2016 में निराकृत निर्देश प्रकरणों की संख्या	31.12. 2015 को लंबित विविध प्रकरणों (MJC) की संख्या	वर्ष 2016 में पंजीकृत विविध प्रकरणों (MJC) की संख्या	विविध प्रकरणों (MJC) की कुल संख्या	वर्ष 2016 में निराकृत विविध प्रकरणों (MJC) की संख्या	वर्ष में पंजीकृत प्रकरणों का वाद मूल्यांकन (रु.)	दावा/ प्रतिदावा में शासन को प्राप्त कुल न्याय शुल्क राशि (रु.)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
699	138	9	846	52	21	42	63	33	11,09,39,78,377.00	1,04,21,435.00

भाग-सात

विभाग का नाम :- मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (क) के तहत सरकार का यह दायित्व है, कि वह यह सुनिश्चित करें, कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय पाने के अवसर से वंचित न रह पाये। उसे समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ कराकर सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराई जाये। तदनुसार मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1997 के प्रावधानानुसार समाज के कमजोर वर्ग व आर्थिक रूप से गरीब असहाय, पीड़ित व्यक्तियों को समानता व समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ कराने के लिये निःशुल्क विधिक सेवा (विधिक सहायता/सलाह) उपलब्ध कराई जाती है। विधिक सहायता योजना के अंतर्गत संचालित एवं क्रियान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को लाभांवित कराया जाकर उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक महोदय, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के कुशल मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशन में समाज के कमजोर वर्ग एवं गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता योजनांतर्गत (विधिक सेवा-सहायता/सलाह), लोक अदालत योजना, विधिक साक्षरता शिविर एवं अन्य योजनाएँ मध्यप्रदेश राज्य में संचालित की गई है, उक्त योजनाओं का प्रचार-प्रसार प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा अन्य प्रचार माध्यमों से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया गया है तथा दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन कर आम जनता को कानूनी जानकारी प्रदान की गई है तथा लोगो को लाभांवित कराया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार योजनाएँ/कार्यक्रम संचालित एवं क्रियान्वित हैं:-

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनायें एवं कार्यक्रम

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता योजना एवं उसके अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है :-

(अ.) विधिक सेवायें-

1. विधिक सहायता/सलाह।
2. पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र।
3. जिला विधिक परामर्श केन्द्र।
4. मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता।
5. लीगल एड क्लीनिक।
6. महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई कार्यक्रम।
7. श्रमिकों के विरुद्ध अपराध-प्रकोष्ठ कार्यक्रम।
8. मीडियशन कार्यक्रम।

(ब.) लोक अदालत-

1. वार्षिक/मासिक नेशनल लोक अदालत।
2. मेगा लोक अदालत।
3. स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत।
4. लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत (धारा 22 बी) के अंतर्गत।
5. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत लोक अदालत।
6. जेल लोक अदालत।
7. मोबाइल (चलित) लोक अदालत।
8. पारिवारिक महिला लोक अदालत।
9. प्ली-बारगेनिंग प्रक्रिया के द्वारा प्रकरणों का निराकरण।

(स.) विधिक साक्षरता।

1. विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर।
2. लघु विधिक साक्षरता शिविर।
3. मनरेगा के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर।
4. विवाद विहीन ग्राम योजना।
5. प्रचार-प्रसार कार्यक्रम।

मध्यप्रदेश राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उसके अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन निम्नानुसार चार स्तरीय व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है :-

- | | |
|--|--------------------|
| 1- मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण | राज्य स्तर |
| 2- उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति | उच्च न्यायालय स्तर |
| 3- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | जिला स्तर |
| 4- तहसील विधिक सेवा समिति | तहसील स्तर |

“योजनायें एवं कार्यक्रम”

(अ.) विधिक सेवायें-

(1) विधिक सहायता एवं सलाह :-

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा समान्य वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीब, असहाय, पीड़ित एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को उनके विरुद्ध चल रहे प्रकरण या उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता दी जाती है।

विधिक सहायता/सलाह कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है ?

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन ऐसा व्यक्ति विधिक सहायता/सलाह प्राप्त कर सकता है :-

- जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है,
 - ऐसा व्यक्ति जो लोगों के दुर्व्यवहार से पीड़ित है या जिससे बेगार कराया जा रहा हो,
 - महिला, बालक हो,
 - ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से अस्वस्थ या असमर्थ है निर्योग्य है ।
- निर्योग्य का तात्पर्य है :-** (क) अन्धापन, (ख) कमजोर दिखाई देना, (ग) जिसे प्स्टरोग है, (घ) कम सुनाई देना, (ङ.) जो चल फिर नहीं सकता, (च) जो दिमागी रूप से मार हो।

- ऐसा व्यक्ति जो बहुविनाश, जातीय हिंसा या जातीय अत्याचार से सताया गया है, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प, बाढ़, सूखा आदि से पीड़ित है,
- ऐसा व्यक्ति जो औद्योगिक कर्मकार है (फैक्टरी, कम्पनी में काम करता है)
- ऐसा व्यक्ति जो जेल में बंदी है,
- ऐसा व्यक्ति जिसकी वर्षभर की आमदनी 1,00,000/- (रूपये एक लाख) से ज्यादा नहीं है।

किस तरह की विधिक सहायता मिलती है :-

विधिक सहायता के पात्र व्यक्ति जिसका प्रकरण अदालत में चल रहा है या चलाना चाहता है उसे मामले में लगने वाली :- 1. कोर्ट फीस, 2. तलवाना, 3. टाईपिंग/फोटोकॉपी खर्च, 4. गवाह खर्च, 5. अनुवाद कराने में लगने वाला खर्च, 6. निर्णय/आदेश तथा अन्य गगजातों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का पूरा खर्च, 7. वकील फीस ।

उपरोक्त विधिक सेवा तहसील न्यायालय से लेकर जिला स्तर के सभी न्यायालयों/अधिकरणों, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में प्रदान कराई जाती है।

(2) पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना :-

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा "पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना, 2001" विरचित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति वर्ग के परिवार के सदस्यों के मध्य उत्पन्न विवाद जैसे पारिवारिक सम्पत्ति, भरण पोषण, बच्चों की सुरक्षा/देखभाल आदि विवादों का निपटारा किया जाता है। इस प्रकार के पारिवारिक विवादों का निदान सदभावपूर्ण वातावरण में आपसी समझौते के आधार पर जिला एवं तहसील स्तर पर स्थापित पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्रों द्वारा कराया जाता है। इस संबंध में जिले में पदस्थ जिला विधिक सहायता अधिकारी को आवेदन दिया जा सकता है। इन केन्द्रों द्वारा कराया गया समझौता गुप्त रखा जाता है, जिससे परिवार के सम्मान में ठेस नहीं पहुँचती है।

(3) जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना :-

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा "जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना, 2001" बनाई गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय परिसर में स्थापित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जिला विधिक परामर्श केन्द्र कार्यरत है। जिला विधिक परामर्श केन्द्र द्वारा सभी वर्ग के व्यक्तियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे व्यक्तियों को जो अशिक्षा व अज्ञानता के कारण अपने कर्तव्य व अधिकार नहीं जानते तथा अपना कानूनी एवं वैधानिक अधिकारों की जानकारी से वंचित रहते हैं या जिन्हें किसी विधिक परामर्श की आवश्यकता होती है उन्हें निःशुल्क विधिक परामर्श देकर उनकी समस्याओं का निदान किया जाता है।

(4) मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना:-

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा "मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना, 2001" बनाई गई है। यह योजना प्रत्येक जिला एवं तहसील स्तर पर स्थापित मजिस्ट्रेट न्यायालयों में निरूद्ध बंदियों को रिमाण्ड प्रकरणों में पैरवी करने एवं जमानत के लिए आवेदन देने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त किया जाकर विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कोई भी व्यक्ति स्वतः या अपने रिश्तेदार द्वारा न्यायालय में बैठे मजिस्ट्रेट अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी को आवेदन देकर सहायता प्राप्त कर सकता है।

(5) लीगल क्लीनिक :-

यह क्लीनिक मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर एवं उसकी दोन खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर एवं प्रदेश के समस्त जिला न्यायालयों में कार्यरत है, जिसमें निर्धारित स्थान पर प्रतिदिन कार्य दिवस में योग्य अभिभाषक बैठकर सामान्य वर्ग के अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को उनकी समस्याओं के बारे में मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह देते हैं।

(6) महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई कार्यक्रम-

महिला एवं बच्चों से संबंधित समस्याओं का निदान कर उन्हें शीघ्र न्याय दिलाये जाने का उद्देश्य से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में "महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई" का गठन किया गया है। यह इकाई सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला एवं बच्चों में उनके विधिक अधिकारों कर्तव्यों के संबंध में उन्हें जागरूक कर उनकी समस्याओं का निदान करती है।

(7) श्रमिकों के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ कार्यक्रम :-

श्रम, विधियों के प्रभावकारी क्रियान्वयन, श्रमिक कामगारों की सुरक्षा, उन्हें निर्धारित मजदूरी दिलाने, महिला कामगारों के प्रति भेदभाव एवं उन्हें लैंगिक प्रताड़ना से रोकने तथा बच्चों को श्रमिक के रूप में कार्य कराने से रोकने के संबंध में एवं हितग्राही को न्याय दिलाने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में "श्रमिकों के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ" का गठन किया गया है। कोई भी पीड़ित श्रमिक जिसके विरुद्ध अन्याय या अत्याचार हो रहा है उसे समान मजदूरी न देकर भेदभाव किया जा रहा है। वह न्याय प्राप्त करने एवं अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये उक्त प्रकोष्ठ में जाकर आवेदन दे सकता है।

(8) मीडियेशन कार्यक्रम:-

विवादों के वैकल्पिक निराकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रकरणों में मध्यस्थता व आपसी सुलह समझौता के माध्यम से निराकरण कराने के लिये कार्यक्रम आयोजित कराना एवं इसके लिये न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, सामाजिक कार्यकर्तागण के गठित मीडियेटर्स दल को प्रशिक्षण देना।

(ब.) लोक अदालत योजना-

लोगों को शीघ्र सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, आपसी समझौते के आधार पर विवादों के निराकरण के लिये उच्च न्यायालय, जिला एवं तहसील स्तर के न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। मुख्य रूप से लोक अदालतें दो प्रकार के प्रकरणों पर विचार करती हैं :-

- (1) ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में विचाराधीन हैं।
 - (2) ऐसे प्रकरण जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं (प्रीलिटिगेशन)
- वर्तमान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निम्न प्रकार की लोक अदालतों का आयोजन कराया जा रहा है।

1. मासिक/वार्षिक नेशनल लोक अदालत।
2. मेगा लोक अदालत।
3. स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत।
4. लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत (धारा 22(बी) के अंतर्गत)।
5. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत लोक अदालत।
6. जेल लोक अदालत।
7. मोबाइल लोक अदालत।
8. पारिवारिक महिला लोक अदालत।
9. प्ली-बारगेनिंग प्रक्रिया के द्वारा प्रकरणों का प्रकरण।

लोक अदालत के लाभ :-

- 1- पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है तथा दुश्मनी/वैमनस्यता समाप्त हो जाती है।
- 2- समय, पैसा एवं अनावश्यक मेहनत की बचत हो जाती है।
- 3- लोक अदालत में मामला निपट जाने पर मामले में लगी कोर्टफीस वापस हो जाती है।
- 4- लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण होने से लोक अदालत के निर्णय या आदेश/डिक्री/अवार्ड के विरुद्ध कोई अपील या रिवीजन नहीं होती।
- 5- मोटर दावा दुर्घटना एवं अन्य क्षतिपूर्ति प्रकरणों में मुआवजा राशि शीघ्र मिल जाती है।

(स.) विधिक साक्षरता।

(1). विधिक साक्षरता शिविर योजना :-

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता स्कीम, 1999 तैयार की गई है जिसके अनुसार उच्च न्यायालय स्तर, जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर शहरी गंदी बस्तियों एवं सुदूर ग्रामीण अंचलों के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है इन शिविरों में न्यायाधीशगण, अधिवक्ता, गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य, अधिकारीगण, महिलायें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निशक्त व्यक्ति, विधि शिक्षक, विधि विद्यार्थियों के प्रतिनिधि रहते हैं। विधिक साक्षरता शिविरों में अन्य वर्गों के साथ साथ अनुसूचित जाति वर्ग के शोषित पीड़ित व्यक्तियों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान कर उनके मौलिक एवं वैधानिक अधिकारों तथा उनके हित संरक्षण में बनाये गये विभिन्न कानूनों एवं योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें विधिक रूप से जागरूक बनाया जाता है। छुआछूत, दहेज प्रथा, बंधुआ मजदूर, बाल विवाह आदि कुरीतियों एवं बुराईयों के साथ-साथ भरण पोषण, उपभोक्ता फोरम आदि विषयक नुक्कड़ नाटक तैयार किये गये हैं, जिनका जेसीज क्लब, लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, गैर सरकारी एवं सरकारी विभागों के सहयोग से मंचन कराया जाकर लोगों को विधिक जागरूक बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित विधिक सेवा (सहायता/सलाह), लोक अदालत, विधिक साक्षरता शिविर आदि योजनाओं से संबंधित गीत संगीत, ऑडियो कैंसेट के माध्यम से जानकारी दी जाती है तथा पम्पलेट्स, पोस्टर, हैण्डबिल्स, लिट्रेचर आदि वितरित कर वृहद प्रचार प्रसार किया जाकर अन्य वर्गों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों को भी जागरूक बनाया जा रहा है।

(2). विवाद विहीन ग्राम योजना :-

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा "विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000" विरचित की गई है, "विवाद विहीन ग्राम" का तात्पर्य ऐसे गांवों से है जिसमें उस गांव में रहने वाले व्यक्तियों में कोई विवाद न हो और यदि हो तो उसे आपसी सद्भाव, समझौते या लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र निपटा लिया गया हो। यह कार्य जिला प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में किया जाता है।

(3). प्रचार-प्रसार :-

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित एवं क्रियावित योजनाओं का प्रचार-प्रसार प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से तथा समाचार पत्रों के माध्यम से कराया जाता है।

वर्ष 2016 (जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक) की भौतिक उपलब्धिया

(अ.) विधिक सेवायें-

1-विधिक सहायता/विधिक सलाह योजना :-

वर्ष 2016 में (माह जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक) कुल 49,191 व्यक्तियों को विधिक सहायता/विधिक सलाह योजना के माध्यम से लाभांशित कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के 100,10 अनुसूचित जनजाति के 8,739 एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के 30,442 व्यक्ति सम्मिलित है।

2-पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना :-

वर्ष 2016 में (माह जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक) "पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र" योजनांतर्गत कुल 1,415 प्रकरणों का निराकरण कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति 231 अनुसूचित जनजाति वर्ग के 387 एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के 797 प्रकरण सम्मिलित है।

3-जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना :-

वर्ष 2016 में (माह जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक) जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना द्वारा कुल 2,881 प्रकरणों का निराकरण कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति 657, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 558 तथा पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के 1,666 प्रकरण सम्मिलित है।

4-मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना :-

वर्ष 2016 में (माह जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक) "मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना" द्वारा कुल 2853 प्रकरणों में 2775 व्यक्तियों को रिमाण्ड/जमानत हेतु विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है, जिसमें अनुसूचित जाति 376, अनुसूचित जनजाति के 204 एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के 2195 व्यक्ति सम्मिलित है।

5-लीगल एड क्लीनिक :-

वर्ष 2016 में (माह जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक) "लीगल एड क्लीनिक" द्वारा कुल 6,806 आवेदन पत्रों का निराकरण कराते हुए 6,716 व्यक्तियों को लाभांशित कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति 1,763, अनुसूचित जनजाति के 1,299 एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के 3,654 व्यक्ति सम्मिलित है।

6-महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई :-

वर्ष 2016 में (माह जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक) "महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई" द्वारा कुल 131 प्रकरणों का निराकरण कराते हुए 112 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति 40, अनुसूचित जनजाति के 04 एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के 68 व्यक्ति सम्मिलित है।

7-श्रमिकों के विरुद्ध अपराध-प्रकोष्ठ कार्यक्रम :-

वर्ष 2016 में (माह जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक) "श्रमिकों के विरुद्ध अपराध-प्रकोष्ठ कार्यक्रम" द्वारा कुल 228 प्रकरणों का निराकरण कराते हुए 219 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति 89 एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के 139 व्यक्ति सम्मिलित है।

8-मीडियशन कार्यक्रम :-

वर्ष 2016 में (माह जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक) में मीडियशन के माध्यम से कुल 30,443 प्रकरणों का निराकरण कराया गया एवं इसी वर्ष में 05 मीडियशन कार्यक्रम आयोजित कर कुल 96 लोगों को प्रशिक्षित कराया गया।

(ब.) लोक अदालतों की जानकारी-

1. वार्षिक नेशनल/मेगा लोक अदालत :-

वर्ष 2016 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में दिनांक 12 नवम्बर 2016 को उच्च न्यायालय, समस्त जिला एवं समस्त तहसील मुख्यालयों में वार्षिक नेशनल लोक अदालत का आयोजन कराया गया। जिसमें सभी प्रकार के कुल 8,21,799 प्रकरणों का निराकरण कराया जाकर, कुल राशि रूपये 7,05,07,19,084/- मुआवजा/डिक्री/ वसूली/समझौता राशि का अवार्ड पारित किया गया और 12,32,699 पक्षकारों को लाभांवित कराया गया।

2. मासिक नेशनल लोक अदालत :-

वर्ष 2016 में (माह जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक) दिनांक 27 फरवरी 2016, 23 अप्रैल 2016, 25 जून 2016, 30 जुलाई 2016, 27 अगस्त 2016, 24 सितम्बर 2016 एवं 22 अक्टूबर 2016 को प्रदेश के समस्त न्यायालयों में कुल 08 मासिक नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया गया। उक्त मासिक नेशनल लोक अदालतों में 2,74,998 प्रकरणों का निराकरण कराया गया जाकर, राशि रू0 2,76,98,56,983/- का अवार्ड पारित किया गया और लगभग 3,67,232 पक्षकारों को लाभांवित कराया गया।

3. स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत :-

वर्ष 2016 में (माह जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक) कुल 1587 लोक अदालतें आयोजित की जाकर 18,183 प्रकरणों का निराकरण कराया गया है। उक्त निराकृत प्रकरणों में अनुसूचित जाति वर्ग के 2651 अनुसूचित जनजाति वर्ग के 2470 तथा पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के 13,062 प्रकरण सम्मिलित है।

4. लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत :-

वर्ष 2016 में (माह जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक) 337 लोक अदालतें आयोजित की जाकर 1400 प्रकरणों का निराकरण कराया गया। उक्त निराकृत प्रकरणों में अनुसूचित जाति वर्ग के 216, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 257 तथा पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के 927 प्रकरण सम्मिलित है।

5. महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत लोक अदालत :-

वर्ष 2016 में (माह जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक) 53 लोक अदालतें आयोजित की जाकर, 1343 प्रकरणों का निराकरण कराया गया। उक्त निराकृत प्रकरणों में अनुसूचित जाति वर्ग के 25 अनुसूचित जनजाति वर्ग के 02 तथा पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के 1316 प्रकरण सम्मिलित है।

6. जेल लोक अदालत :-

वर्ष 2016 में (माह जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक) 32 लोक अदालतें आयोजित की जाकर, 47 प्रकरणों का निराकरण कराया गया। उक्त निराकृत प्रकरणों में अनुसूचित जाति वर्ग के 10, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 11 तथा पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के 26 प्रकरण सम्मिलित है।

7. मोबाइल/चलित लोक अदालत :-

वर्ष 2016 में (माह जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक) सुदुरग्रामीण क्षेत्रों में 221 मोबाइल/चलित लोक अदालतें आयोजित की गईं। उक्त लोक अदालतों में 1101 प्रकरणों का निराकरण कराया जाकर 2359 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया।

8. प्ली-बारगेनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत निराकृत प्रकरण :-

वर्ष 2016 में (माह जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक) प्ली-बारगेनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत 136 प्रकरणों का निराकरण कराया गया। उक्त निराकृत प्रकरणों में अनुसूचित जाति वर्ग के 28, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 32 तथा पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के 76 प्रकरण सम्मिलित है।

(स.) विधिक साक्षरता शिविर योजना।

1. विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर :-

वर्ष 2016 में (माह जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक) कुल 3,369 विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाकर, 4,46,806 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति 36,859, अनुसूचित जनजाति के 33,775 एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के 3,76,172 व्यक्ति सम्मिलित है।

2. लघु विधिक साक्षरता शिविर :-

वर्ष 2016 में (माह जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक) कुल 572 लघु विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाकर, 35,743 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति 2,318, अनुसूचित जनजाति के 1,689 एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के 31,736 व्यक्ति सम्मिलित है।

3. मनरेगा के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर :-

वर्ष 2016 में (माह जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक) कुल 385 मनरेगा के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाकर, 10,233 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति 723, अनुसूचित जनजाति के 515 एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के 8,995 व्यक्ति सम्मिलित है।

4. विवाद विहीन ग्राम योजना :-

वर्ष 2016 में (माह जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक) विवाद विहीन ग्राम योजनांतर्गत किसी भी ग्राम को विवाद विहीन ग्राम घोषित नहीं किया गया है।

5. प्रचार-प्रसार कार्यक्रम :-

वर्ष 2016 में (माह जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक) योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिये बुकलेट, पम्पलेट, ब्रूचर्स, समाचार पत्रों के माध्यम से तथा अन्य माध्यमों से प्रादेशिक एवं जिला तथा तहसील स्तर तक प्रचार-प्रसार कराया गया है, जिसके कारण से जनसामान्य एवं दूर-दराज ग्रामीण अंचलों के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में योजनाओं के माध्यम से लाभांवित कराया गया है।

(द.) स्थापित लीगल एड क्लीनिक एवं फन्ट ऑफिस में सेवाएँ देने वाले प्रशिक्षित पैरालीगल वॉलेन्टियर्स:-

वर्ष 2016 में (माह जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक) वर्तमान में कुल 972 लीगल एड क्लीनिक्स स्थापित हैं और 2,655 व्यक्तियों को पैरालीगल वॉलेन्टियर्स को प्रशिक्षण दिया जा चुका है जिसमें से 1,629 पैरालीगल वॉलेन्टियर्स द्वारा लीगल एड क्लीनिक्स, फन्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, जेल/ओवजरवेजन होम्स, जे.जे.बी/चाइल्ड वेलफेयर सेंटर तथा अन्य स्थानों पर सेवाएँ दी जा रही है।

वित्त

रूपये 6

रूपये

अनुसूचित

26,20,1

2016-

6,22,22

योजना

उक्त र

न्यायाल

राशि मे

समितिय

कक्षों त

हेतु 14

शाके

वित्त वर्ष 2016-17 (अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2016 तक) की वित्तीय उपलब्धियाँ:-

शासन द्वारा वित्त वर्ष 2016-17 के लिए योजनाओं एवं कार्यक्रमों आदि में व्यय हेतु रूपये 6,81,63,550/- (शब्दों में छः करोड़ इक्यासी लाख त्रेसठ हजार पाँच सौ पचास रूपये मात्र) की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें से सामान्य योजना में रूपये 6,22,22,200/-, अनुसूचित जनजाति योजना में रूपये 33,21,000/-, अनुसूचित जाति उप योजना में रूपये 26,20,350/- का वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। जिसके विरुद्ध वित्त वर्ष 2016-17 में (अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2016 तक) सामान्य योजना में रूपये 6,22,22,200/-, अनुसूचित जनजाति योजना में रूपये 33,21,000/-, अनुसूचित जाति उप योजना में रूपये 26,20,350/- राशि शासन से प्राप्त हुई।

उक्त राशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों को आवंटित की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आवंटित राशि में से राज्य प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों द्वारा रूपये 1,16,50,162/- व्यय किया गया।

भविष्य की योजनाएं

केन्द्र प्रवर्तित योजना से प्राप्त राशि में से नवीन न्यायालय भवनों, अतिरिक्त न्यायालय कक्षों तथा न्यायाधीशों के आवासगृहों का निर्माण किया जाना तथा न्यायिक क्षेत्र के सुदृढीकरण हेतु 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना।